

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम..... वयाना  
 किरस्त मुकदमा..... राधकपाल..... बनाम..... लक्ष्मी वीरेश  
 नं. 17/23 का 32/22

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
25/11/22	<p>पदा प्रामाणिक ने यह प्रमाणित पत्र चार                  शतक अत के तहत प्रेषित किया                  एफने पदा प्रामाणिक को एक-पक्षीय                  सुन 1 प्रमाणिक से संलग्न रखकर                  अतिरिक्त का अर्थोकर किया समझा                  समझ हुआ प्रामाणिक के हक में कपात                  काया है कि अ प्रामाणिक के प्रिकर                  अशरित कल्याण विपक्षार कागामी                  170 प्रेमि डि-22/23 तक इत कायम का                  जारी किया जाता है कि प्रामाणिक पत्र की                  मड 10 02 में वरिष्ठ कागामी वरिष्ठ अड                  अगामी तह वयाना के प्रेषित की                  यथासंभव वगैर रहे। इत वाकत को                  कापनी को निरत 170 प्रेमि का प्रामाणिक                  एका उदा ही समझ कर प्रिकर ही                  अ प्रामाणिक को जारी की गित तहत                  का समझ डि-22/23 को प्रेषित</p> <p>2 पीठासीन अधिकारी हैं                  23 पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/5 को पेश हो</p> <p>रीडर                  एस.डी.ओ./एस.डी.एम. वयाना</p>	<p>(10)</p> <p>उपखण्ड अधिकारी                  वयाना (भरतपुर)</p>

